भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1479

(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार के लिए सड़क परियोजनाएं

1479. श्रीमती लवली आनंद:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित राज्य-वार वित्तीय वर्षों 2024-29 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण-IV शुरू की है;

(ख) क्या बिहार को उसकी विशाल ग्रामीण आबादी ओर सड़क संपर्क की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना में प्राथमिकता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार के लिए पात्र ग्रामीण बसावटों, पात्र परियोजनाओं, राज्य सरकार से प्राप्त सड़क प्रस्तावों और अब तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) शिवहर सहित जिला-वार पात्र ग्रामीण बसावटों, पात्र परियोजनाओं, राज्य सरकार से प्राप्त सड़क प्रस्तावों, स्वीकृत परियोजनाओं, स्वीकृत सड़क की लंबाई, स्वीकृत धनराशि और परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति का ब्यौरा और संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा किसी पात्र परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा उनकी स्वीकृति के लिए समय-सीमा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) को वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 70,125 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ देश भर में 25,000 पात्र संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क

संपर्कता (62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण) प्रदान करने के लक्ष्य के साथ अनुमोदन प्रदान किया है। पीएमजीएसवाई-IV के तहत कोई राज्य-वार लक्ष्य नहीं है। जनगणना 2011 के जनसंख्या मानदंडों के आधार पर पीएमजीएसवाई-IV के तहत संपर्कता प्रदान की जाने वाली बसावटों की पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

I. मैदानी क्षेत्रों में 500 और उससे अधिक की आबादी वाली बसावटें।
II. विशेष श्रेणी के राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड) में 250 और उससे अधिक की आबादी वाली बसावटें, विशेष श्रेणी के क्षेत्र [जनजातीय अनुसूची- क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, आकांक्षी ब्लॉक/जिले और संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र (25% से अधिक क्रॉस ढलान और ऊंचाई औसत समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक)] तथा
III. गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर चिन्हित पुराने एवं संवेदनशील जिलों सहित एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में 100 और उससे अधिक की आबादी वाली बसावटें।

(ग) और (घ): राज्य सरकार द्वारा राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एसआरआरडीए) के माध्यम से ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) का उपयोग करके पात्र बसावटों की पहचान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाती है और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं।

पीएमजीएसवाई के सभी चरणों (पीएमजीएसवाई-I, II, III, और आरसीपीएलडब्ल्यूईए) में, बिहार राज्य में 65,584 किमी लंबाई कुल 18,764 सड़कों और 2,085 पुल को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 31,293 बसावटों को जोड़ने वाली 62,724 किमी सड़क लंबाई और 1821 पुल का निर्माण अब तक पूरा किया जा चुका है। श्योहर जिले सहित राज्य में पीएमजीएसवाई के सभी घटक के तहत स्वीकृत और पूर्ण कार्यों का जिला-वार विवरण ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे https://pmgsy.dord.gov.in/dbweb. पर देखा जा सकता है।

(ङ): पीएमजीएसवाई के तहत सड़क प्रस्तावों की मंजूरी कार्यक्रम दिशानिर्देशों द्वारा शासित एक सतत प्रक्रिया है। परियोजनाओं को निम्नलिखित मानक प्रक्रिया के आधार पर मंजूरी दी जाती है:

i. ओएमएमएएस संबंधी प्रस्तुति: राज्य सरकार डीपीआर तैयार करती है और ओएमएमएएस पोर्टल पर जांच किए गए प्रस्ताव को अपलोड करती है।

ii. तकनीकी जांच: डीपीआर की जांच राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए), प्रधान तकनीकी एजेंसियों (पीटीए) और राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा की जाती है।

iii. अधिकार प्राप्त समिति का विचार: पात्र प्रस्तावों को विचार के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के समक्ष रखा जाता है।

प्रस्ताव मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से स्थगित या अनुमोदित नहीं किए जाते हैं:

- राज्य सरकार से मांगी गई अधूरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) या लंबित जानकारी।
- भूमि की उपलब्धता या संरेखण विवादों से संबंधित विवाद।

एक बार जब राज्य सरकार तकनीकी प्रश्नों का समाधान कर पूरी तरह से अनुपालन वाले प्रस्ताव प्रस्तुत कर देती है, तो उन्हें समयबद्ध तरीके से अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है। आज की स्थिति के अनुसार, पीएमजीएसवाई-IV के तहत, बिहार राज्य ने पीएमजीएसवाई के कार्यक्रम एमआईएस पर 21 बस्तियों और 4 पुलों को शामिल करते हुए 22.83 किमी की लंबाई के 20 सड़क कार्यों को अपलोड किया है जो जांच के अधीन हैं। मंज़ूरी के लिए कोई अन्य प्रस्ताव लंबित नहीं है।
